बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

बिहार राज्य में आये बाढ़ की विभिषिका को देखते हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार सरकार/जिला प्रशासन द्वारा बनाये गये राहत कैम्पों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए पर्यवेक्षण/निगरानी करने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, मुख्यालय स्तर के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–4 में उल्लेखित जिला/स्थान पर प्रतिनियुक्त किया जाता है :–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/ पदनाम	वर्तमान पदस्थापन	प्रतिनियुक्ति जिला/स्थान
1	2	3	4
1	श्री अरविन्द प्रकाश रंजन, अधीक्षण अभियंता ।	लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–3, पटना	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पूर्व का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र ।
2	श्री अशोक कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता ।	लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–2, पटना	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिम का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र
3	श्री अरूण कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता ।	मुख्य अभियंता (नागरिक) के प्रावैधिक सचिव, मुख्यालय, पटना ।	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय/खगड़िया एवं लखीसराय का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र ।
4	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता ।	लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या–6, पटना ।	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, छपरा अंतर्गत सोनपुर एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर अंतर्गत वैशाली का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र ।
5	श्री विवेक अग्रवाल, कार्यपालक अभियंता ।	लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या–7, पटना ।	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा एवं बक्सर का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र ।
6	श्री नित्यानन्द प्रसाद, कार्यपालक अभियंता ।	अधीक्षण अभियंता, पटना के तकनीकी सलाहकार ।	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र ।
7	श्री राजीव कुमार, कार्यपालक अभियंता ।	अधीक्षण अभियंता, पूर्णियॉ के तकनीकी सलाहकार ।	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, कटिहार का सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र ।

2. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि अगले आदेश तक अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर रहकर अपने क्षेत्रान्तर्गत राहत शिविरों का प्रतिदिन सतत् पर्यवेक्षण करेंगे ।

3. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी राहत शिविरों का पर्यवेक्षणोंपरांत पेयजल एवं शौचालयों आदि को दुरूस्त कराना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिदिन 11.00 बजे पूर्वाह्न तक अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन ईमेल/फैक्स/दूरभाष आदि के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे ।

4. प्रतिनियुक्त पदाधिकारी संयुक्त सचिव (प्र0को0), मुख्यालय, पटना से सम्पर्क कर वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें ।

5. यह प्रतिनियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

ह/–
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक –   पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संयुक्त सचिव (प्र0को0) को निदेशित किया जाता है कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

ह/–
(अंशुली आर्या)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 2822 38/45 प्र0को0   पटना, दिनांक :– 22/08/16.

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0 टी0 प्रबंधक, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/8/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव